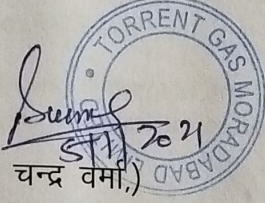


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एस०एच-४३) के कि०मी० चैनेज ४.४२० से ५.८२० तक बाँयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु ०.०८४१ हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०, मुरादाबाद को मान्य होगी।



(सतीश चन्द्र वर्मा,
सहायक महाप्रबन्धक,
टोरेंट गैस मुरादाबाद लि०,
मुरादाबाद।

(कन्हैया प्रटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुरादाबाद।